कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

।। विविध–आदेश ।।

जावक कं. 13 /दो–12–06/12 उज्जैन, दिनांक – 02 FEB 2024

वर्तमान परिपेक्ष्य में समस्त न्यायालयों द्वारा कागजों की बचत करने एवं कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से अधिकतम कार्य ई–मेल के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में जिला स्थापना उज्जैन एवं तहसील न्यायालय के समस्त न्यायालयों द्वारा समस्त रिहाई आदेश मेन्यूअल रूप से भिजवाए जा रहे हैं, जिससे रिहाई आदेश समय पर जेल में न पहुंच पाने से कई बार पक्षकार जेल से नियत समयावधि में रिहा नहीं हो पाते है।

उक्त संदर्भ में मण्डल अभिभाषक संघ के पत्र कमांक 127 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा रिहाई आदेश ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु कार्यालय को अवगत कराया गया है। उपरोक्त पत्र के अनुकम में जिला स्थापना उज्जैन एवं तहसील न्यायालय के समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि, न्यायालय द्वारा जारी रिहाई आदेशों को मेन्यूअल रूप से आवक–जावक करवाये जाने के उपरांत व्यक्तिगत रूप से भिजवाए जाने के साथ–साथ, न्यायालय के ई–मेल आई.डी. के माध्यम से संबंधित जेल के ई–मेल आई.डी. पर भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

।। विविध–आदेश।।

जावक कं. 13 /दो–12–06/12 उज्जैन, दिनांक – 02 FEB 2024

वर्तमान परिपेक्ष्य में समस्त न्यायालयों द्वारा कागजों की बचत करने एवं कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से अधिकतम कार्य ई–मेल के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में जिला स्थापना उज्जैन एवं तहसील न्यायालय के समस्त न्यायालयों द्वारा समस्त रिहाई आदेश मेन्यूअल रूप से भिजवाए जा रहे हैं, जिससे रिहाई आदेश समय पर जेल में न पहुंच पाने से कई बार पक्षकार जेल से नियत समयावधि में रिहा नहीं हो पाते है।

उक्त संदर्भ में मण्डल अभिभाषक संघ के पत्र क्रमांक 127 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा रिहाई आदेश ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु कार्यालय को अवगत कराया गया है। उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में जिला स्थापना उज्जैन एवं तहसील न्यायालय के समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि, न्यायालय द्वारा जारी रिहाई आदेशों को मेन्यूअल रूप से आवक–जावक करवाये जाने के उपरांत व्यक्तिगत रूप से भिजवाए जाने के साथ–साथ, न्यायालय के ई–मेल आई.डी. के माध्यम से संबंधित जेल के ई–मेल आई.डी. पर भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.

पृष्ठांकन कं/248/ दो–12–06/12 उज्जैन, दिनांक– 03 FEB 2024

प्रतिलिपि –

1. समस्त न्यायालय उज्जैन/महिदपुर/बड़नगर/तराना/नागदा/खाचरौद की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, उज्जैन को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.

JSA आवश्यक
31-1-24

मण्डल अभिभाषक संघ, उज्जैन

कार्यालय – नवीन न्यायालय परिसर, उज्जैन (म.प्र.) फोन : 0734-2510827

Email : ujjainbarassociation@gmail.com

अध्यक्ष
अशोक यादव
98273-67865
उपाध्यक्ष
मुकेश आर.उपाध्याय
94240-37620
सचिव
डॉ. प्रकाश चौबे
87707-74005
कोषाध्यक्ष
महेन्द्र सोलंकी
93295-98280
पुस्तकालय सहसचिव
योगेश शर्मा
90980-20860
अधि. कल्याण सहसचिव
अरविन्द शर्मा
98269-06773
कार्यकारिणी सदस्य
राजेश कपिल
98270-03404
विक्रांत बाथरी
98273-32020
इंसाफ एहमद कुरैशी
78699-02209
मुनिराज शर्मा
93024-93103
महेश शर्मा
79743-71478
धमेन्द्र पण्ड्या
96915-29880
प्रदीप देवतवाल
82239-16757
राकेश चौधरी
84356-26861
भारत मालवीय
96917-65386
अपेक्षा शुक्ला
94066-60099
अजय आंजना
97704-49921

क्रमांक 127 दिनांक 30/01/24

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय – रिहाई आदेश ई–मेल के माध्यम से संबंधित जेल में भेजे जाने विषयक।

माननीय महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि, वर्तमान परिपेक्ष्य में समस्त न्यायालयों द्वारा कागजों की बचत करने के उद्देश्य से तथा कार्यो को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से अधिकतम कार्य ई–मेल के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। उज्जैन न्यायालय के प्रत्येक न्यायालय से वर्तमान में समस्त रिहाई आदेश मेन्यूल रूप से आवक–जावक करने व्यक्तिगत रूप से भिजवाए जाते है, जिसमें समय व एक व्यक्ति का कार्य बढ जाता है और समयाभाव के कारण कई बार पक्षकार जेल से समय पर रिहा भी नही हो पाते है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में मध्यप्रदेश के कई न्यायालयों में रिहाई आदेश ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे है। उज्जैन जिले में भी उक्त आदेशों को ई–मेल से प्रेषित किया जाना सुविधा की दृष्टि से तथा पक्षकारों की दृष्टि से न्यायोचित होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि, उज्जैन जिले की समस्त जेलों में न्यायिक अभिरक्षा में बंदियों के रिहाई आदेश ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किए जाने बाबत् उचित आदेश प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

अशोक यादव
अध्यक्ष
मण्डल अभिभाषक संघ, उज्जैन

अध्यक्ष / सचिव
जिला अभिभाषक संघ उज्जैन